विविध **बैंक प्रकरण संख्या 72/2021.(GCMS : 2021/200) पंजाब नेशनल बैंक जरिये** प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, श्री निशान्त खुराना, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. मैसर्स ज्याणी एग्रोटेक** जरिये प्रोपराईटर **हंसराज ज्याणी पुत्र रिडमल** राम निवासी वेयर हाउस स्थित चक 5 डीबीएन, ग्राम पंचायत भगवानगढ, गांव कैंचिया, एनएच–62 (सूरतगढ–श्रीगंगानगर रोड), नजदीक शनि पेट्रोल पॉइंट, इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. **नरेश कुमार** पुत्र राजाराम निवासी वार्ड नं. 5, 39 एलएनपी, बींझबायला, श्रीगंगानगर एवं नजदीक एसबीआई बैंक शाखा कैंचिया, चक 36 एमओडी तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स ज्याणी एग्रोटेक–प्रो. इंद्राज ज्याणी एवं नरेश कुमार को **ऋण सुविधा के रूप में 1.30/– करोड़ रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ तीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 25.03.2019 को स्वीकृत किया** था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी इंद्राज ने अपनी संपत्ति औद्योगिक भूमि और बिल्डिंग (वेयर हाउस) स्थित मुरब्बा नं. 27 पत्थर नं. 41/277, किल्ला नं. 6 (0.139 हेक्टेयर) और किल्ला नं. 7 (0.253 हैक्टेयर) कुल 0.392 हैक्टेयर या 3920 वर्गमीटर चक 5 डीबीएन तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक ... को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

30.04.2021 को 1,33,06,650/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 12.07.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स ज्याणी एग्रोटेक—प्रो. इंद्राज ज्याणी एवं नरेश कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 29.07.2021 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी** अप्रार्थी **ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी इंद्राज द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी संपत्ति औद्योगिक भूमि और बिल्डिंग (वेयर हाउस) स्थित मुरब्बा नं. 27 पत्थर नं. 41/277, किल्ला नं. 6 (0.139 हेक्टेयर) और किल्ला नं. 7 (0.253 हैक्टेयर) कुल 0.392 हैक्टेयर या 3920 वर्गमीटर चक 5 डीबीएन तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स ज्याणी एग्रोटेक—प्रो. इंद्राज ज्याणी एवं नरेश कुमार को 1.30/— करोड़ रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ तीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 25.03.2019 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी इंद्राज **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** संपत्ति औद्योगिक भूमि और बिल्डिंग (वेयर हाउस) स्थित मुरब्बा नं. 27 पत्थर नं. 41/277, किल्ला नं. 6 (0.139 हेक्टेयर) और किल्ला नं. 7 (0.253 हैक्टेयर) कुल 0.392 हैक्टेयर या 3920 वर्गमीटर चक 5 डीबीएन तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 12.07.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 29.07.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी इंद्राज द्वारा अपनी संपत्ति औद्योगिक भूमि और बिल्डिंग (वेयर हाउस) स्थित मुरब्बा नं. 27 पत्थर नं. 41/277, किल्ला नं. 6 (0.139 हेक्टेयर) और किल्ला नं. 7 (0.253 हैक्टेयर) कुल 0.392 हैक्टेयर या 3920 वर्गमीटर चक 5 डीबीएन तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 12.07.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 12.07.2021 को 60 दिवस में राशि जमा ... जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 29.07.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी इंद्राज ज्याणी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी इंद्राज ज्याणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई संपत्ति औद्योगिक भूमि और बिल्डिंग (वेयर हाउस) स्थित मुरब्बा नं. 27 पत्थर नं. 41/277, किल्ला नं. 6 (0.139 हेक्टेयर) और किल्ला नं. 7 (0.253 हैक्टेयर) कुल 0.392 हैक्टेयर या 3920 वर्गमीटर चक 5 डीबीएन तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक [illegible] को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब [illegible]

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:15 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर